72 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES (1)

19

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल महोदय, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक ~~2018~~ विविध – 6056/2018/ अनूपपुर / भू-रा.

कैलाश प्रसाद सोनी पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल सोनी आयु– 53 वर्ष, व्यवसाय– कृषि, निवासी– कोतमा वार्ड कमांक 3, तहसील कोतमा जिला अनूपपुर, म0प्र0 ——आवेदक

दिनांक 9-10-18 को श्री आई. पी. द्विवेदी अभि0 द्वारा प्रस्तुत।
9-10-18

प0 दि0 12-10-18

बनाम

1. सोहन पुत्र श्री बुल्लू भरिया
2. संजय पुत्र श्री चेतराम भरिया निवासीगण– ग्राम कोतमा (दरसिला), तहसील कोतमा जिला अनूपपुर, (म0प्र0)

——अनावेदकगण

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 30 एवं 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक आवेदन–पत्र माननीय तहसीलदार महोदय कोतमा जिला अनूपपुर में प्रस्तुत किया गया था, जिसका निराकरण कर आवेदन निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी कोतमा जिला अनुपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसका प्रकरण कमांक 8अ/23/03–04 में पारित आदेश दिनांक 6-3-2007 ... पारित किया गया था।

विविधं 6056/2018 | अनूपपुर | मू.रा. कैलाशप्रसाद Vs मोहन कुर्मी

31.x.18

आवेदक अभि. श्री अरि पी. द्विवेदी को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 30, 32 म.प्र.भू.रा. संहिता के अंतर्गत सुना गया। उन्के द्वारा कमिश्नर शहडोल के यहाँ प्रचलित प्रकरण 155/निग./09-10 को किसी अन्य आयुक्त के द्वारा यहाँ स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया है। स्थानान्तरण का आधार यह बतलाया गया है कि वर्तमान आयुक्त शहडोल के द्वारा वर्ष 2010 में कलेक्टर अनूपपुर की हैसियत से दिनांक 24/5/10 को ~~उनके~~ आवेदक के द्वारा प्रस्तुत ~~अपील~~ अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के आदेश के विरुद्ध Appeal निरस्त की गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी कोतमा, अनूपपुर के न्यायालय का प्र.क्र. 8अ/23/03-04 था जिसमें दिनांक 6/3/2007 को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया था।

(2) उक्त आदेश के विरुद्ध कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में ~~दिनांक~~ वर्ष 2007 को प्रस्तुत की गयी थी, जिसका प्र.क्र. 14/अपील/07-08 था, एवं दिनांक 24/5/10 को Appeal खारिज की गयी।

(3) आवेदक के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि तत्कालीन अनूपपुर कलेक्टर एवं वर्तमान आयुक्त शहडोल एक ही हैं, और यदि एक ही व्यक्ति है तो अपर आयुक्त शहडोल भी शहडोल संभाग में पदस्थ हैं, जिन्हें कि कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील/निगरानी सुनने के अधिकार हैं।

(4) अतः आवेदक प्रथमतः अपनी बात आयुक्त शहडोल के समक्ष रखें। प्रस्तुत आवेदन अग्राह्य किया जाता है।

31.x.18